सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **श्री अंशुल सिंह, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **50/2020** दायर दिनांक **17.02.2020**

वादी		प्रतिवादीगण
1. मोहम्मद युसूफ खां पुत्र नब्बू खां, उम्र 56 वर्ष जाति कायमखानी, निवासी बेरी खुर्द तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना

दावा बाबत्
रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

उपस्थितः–

1. श्री महेन्द्र सिंह खिलेरी वकील वादी।

दिनॉक **10.02.2020**

–:: निर्णय ::–

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी के सयुंक्त खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 58, 59, 60, 61, 88 कुल रकबा 39 बीघा 11 बिस्वा वाकै शरहद जतनपुरा एवं खसरा नम्बर 184 रकबा 02 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 418/254 रकबा 04 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 138, 257 कुल रकबा 23 बीघा, खसरा नम्बर 143 रकबा 03 बीघा 10 बिस्वा वाके सरहद बेरी खुर्द में अवस्थित है। जो कि संयुक्त खातेदारी की है। जिसमें प्रार्थी का नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज है।

यह है कि प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 58, 59, 60, 61, 88 में प्रार्थी का नाम इसबखां, खसरा नम्बर 184, 418/254, 138, 257 में प्रार्थी का नाम युसुफ खां व खसरा नम्बर 143 में प्रार्थी का नाम इसब राजस्व अधिकारीयों के द्वारा भुलवंश गलत अंकित हो गया है।

यह है कि वर्तमान में प्रार्थी के आधार कार्ड, पेन कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट व अन्य सभी दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम मोहम्मद युसूफ खां पुत्र नब्बू खां दर्ज किया हुआ है। परन्तु प्रार्थी का राजस्व रेकर्ड में भूलवंश गलत नाम इसबखां, युसुफ खां व इसब अंकित किया हुआ है।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 50/2020
दायर दिनाँक 17.02.2020 निर्णय दिनाँक 18.03.2020
मोहम्मद युसूफ खां बनाम तहसीलदार डीडवाना।

यह है कि राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम गलत अंकित होने से प्रार्थी को भारी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। जिससे यह प्रार्थना पत्र पेश करना लाजमी आया है।

यह है कि प्रार्थना निम्न है –

(क) यह है कि प्रार्थी के सयुंक्त खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 58, 59, 60, 61, 88 कुल रकबा 39 बीघा 11 बिस्वा वाकै शरहद जतनपुरा एवं खसरा नम्बर 184 रकबा 02 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 418/254 रकबा 04 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 138, 257 कुल रकबा 23 बीघा, खसरा नम्बर 143 रकबा 03 बीघा 10 बिस्वा वाके सरहद बेरी खुर्द में अवस्थित है। उनमें प्रार्थी का सही नाम मोहम्मद युसूफ खां पुत्र नब्बू खां दर्ज किये जाने का आदेश सादर फरमावें।

(ख) यह है कि अन्य रिलिफ जो मुफीद वादी का अता फरमावें।

प्रकरण में तहसीलदार, डीडवाना से तथ्यात्मक रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार डीडवाना ने अपने पत्र क्रमांक 344 दिनांक 24.02.2020 के द्वारा रिपोर्ट पेश की। तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट अनुसार उपस्थित मौतबरान से पूछताछ की गई तो बताया कि प्रार्थी मोहम्मद युसूफ खां पुत्र नब्बूखां को बोलचाल में युसुफ, युसुफखां, इसब व इसबखां के नाम से जाना जाता है। उक्त चारों नाम एक ही व्यक्ति मोहम्मद युसूफ खां के ही है तथा प्रार्थी के अन्य दस्तावेजों यथा आधारकार्ड, पासपोर्ट आदि के अनुरूप है

अतः वादी का नाम मोहम्मद युसूफ खां पुत्र नब्बू खां है जो कि सही है।

वकील वादी की बहस सुनी गई। रेकर्ड का अवलोकन किया। तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट अनुसार वादी का नाम मोहम्मद युसूफ खां दर्ज किया जाना उचित है। अतः वादी का वाद डिक्री सादिर किया जाता है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 50 / 2020
दायर दिनाँक 17.02.2020 निर्णय दिनाँक 18.03.2020
मोहम्मद युसूफ खां बनाम तहसीलदार डीडवाना।

आदेश

अतः इस्व दावा डिक्री वाके सरहद जतनपुरा के खेत खसरा नम्बर 58, 59, 60, 61, 88 में प्रार्थी का नाम इसबखां व सरहद बेरी खुर्द के खेत खसरा नम्बर 184, 418 / 254, 138, 257 में प्रार्थी का नाम युसुफ खां व खसरा नम्बर 143 में प्रार्थी का नाम इसब के स्थान पर मोहम्मद युसूफ खां पुत्र नब्बू खां दुरूस्त किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

(अंशुल सिंह)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **18.03.2020** को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(अंशुल सिंह)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत:— सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री अंशुल सिंह, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 50/2020 दायर दिनाँक: 17.02.2020

वादी		प्रतिवादीगण
1. मोहम्मद युसूफ खां पुत्र नब्बू खां, उम्र 56 वर्ष जाति कायमखानी, निवासी बेरी खुर्द तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना

दावा बाबत्
रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

दिनाँक 11.02.2020

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुददई श्री महेन्द्र सिंह खिलेरी वकील वादी की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्ब दावा वाके सरहद जतनपुरा के खेत खसरा नम्बर 58, 59, 60, 61, 88 में प्रार्थी का नाम इसबखां व सरहद बेरी खुर्द के खेत खसरा नम्बर 184, 418/254, 138, 257 में प्रार्थी का नाम युसुफ खां व खसरा नम्बर 143 में प्रार्थी का नाम इसब के स्थान पर मोहम्मद युसूफ खां पुत्र नब्बू खां दुरूस्त किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज........—........ मुबलिंग..........—.......... बाबत...................—...... ....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह........—........ आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज की तारीख 18.03.2020 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

मुददई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प दस्तावेज सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	—		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	—		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोट:—इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2020.05.07 15:03:08 IST
Reason: SelfAttested
Location: